आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 10/2021–22

सिंघराय मुर्मू

–बनाम–

सुनिता सोरेन

अपीलार्थीः– सिंघराय मुर्मू, पिता– जददू मुर्मू, सा0– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज।

उत्तरवादीः– सुनिता सोरेन, पति– स्व0 अनिल करिया मुर्मू, सा0– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज।

–: आदेश :–

19.04.2024

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी सिंघराय मुर्मू, पिता– जददू मुर्मू, सा0– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज ने विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 में दिनांक– 03.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया है। सुनवाई उपरांत वाद को अंगीकृत करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं इस न्यायालय के ज्ञापांक– 129/डी0बी0, दिनांक– 22.04.2022 से पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 के मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पी0एव0 वाद सं0– 20/2019–20 के मूल अभिलेख प्राप्त।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 में दिनांक– 03.01.2022 को तथ्य से परे हटकर आदेश पारित करते हुए मौजा– तालझारी के प्रधान के पद पर उत्तरवादी सुनिता सोरेन, पति– पति– स्व0 अनिल करिया मुर्मू, सा0– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज को प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। जो आधारहीन एवं गलत आदेश पारित किये है, जिसे अपास्त किया जाना चाहिए।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 में सुनवाई के समय अपीलार्थी सिंघराय मुर्मू, पिता– जददू मुर्मू के द्वारा एक आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। उनके आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, पतना से प्रतिवेदन की मांग की गई। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आपत्तिकर्त्ता द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन में बिना प्रतिवेदन प्राप्त किये उत्तरवादी को मौजा– तालझारी के प्रधान के पद पर नियुक्त कर देना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय को दोनों पक्षों के सुनवाई उपरांत न्यायोचित आदेश पारित

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आ की कार्य

किया जाना चाहिए था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आपत्तिकर्त्ता निर्धारित तिथि को अनुपस्थित थें। इस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पारित आदेश अपास्त करने योग्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा कि मौजा– तालझारी नं0– 43 के प्रधान स्व0 अनिल करिया मुर्मू थे। जिसकी मृत्यु दिनांक– 27.09.2019 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी सुनिता सोरेन पति के मरने के बाद अपनी पिता के घर सोनाजोरी, थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज में रह रही थी। उत्तरवादी को मौजा के 16 आना रैयतों से कोई सरोकार नहीं रखती है तथा किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेती है तथा उनका कोई पुत्र संतान नहीं है। जिसके फलस्वरूप उत्तरवादी को उक्त मौजा के प्रधान बनने का कोई अधिकार नहीं दिखाई पड़ता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा कि वंशावली टेबुल के आधार पर सिंघराय मुर्मू, जमाबंदी नं0– 43 के अंतर्गत आते है और वंशवृक्ष के आधार पर सिंघराय मुर्मू को उक्त मौजा के प्रधान 16 आना रैयतों द्वारा मानते है। इसके आलोक में 16 आना रैयतों द्वारा एक ग्राम सभा करके अपीलार्थी के पक्ष में प्रधान बनाने हेतु अपना प्रस्ताव निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिसमें विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा बिना विचार किये उत्तरवादी को प्रधान के पद पर नियुक्त करना 16 आना रैयतो के विचारो को आहात पहुँचाना प्रतीत होता है, जिसे अपास्त (Set-aside) किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में दर्शाये गये वंशावली पर जोर देते हुए कहा कि अपीलार्थी इसी वंशज के अंतर्गत आते है, जिसे मौजा– तालझारी के प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 में दिनांक– 03.01.2022 को पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तरवादी सुनिता सोरेन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर अपने पति स्व0 अनिल करिया मुर्मू, ग्राम– तालझारी, थाना– रांगा, अंचल– पतना, जिला– साहेबगंज के मृत्यु के उपरांत वैध उत्तराधिकारी के हैसियत से मौजा– तालझारी, अंचल– पतना के प्रधान के पद पर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। उनके द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने अंचल अधिकारी, पतना से ज्ञापांक– 490/रा0, दिनांक– 06.10.2019 के आधार पर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा अपने पत्रांक– 20/रा0, दिनांक– 16.01.2020 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत तथा 16 आना रैयतों से अनापत्ति प्राप्त कर मौजा– तालझारी के प्रधान के पद पर उत्तरवादी सुनिता सोरेन, पति– स्व0 अनिल करिया मुर्मू, ग्राम– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज को योग्य एवं कर्मठ मानते हुए दिनांक– 03.01.2022 को प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तरवादी द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया। तत्पश्चात् विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा प्रधानी पट्टा निर्गत की गई। जो

उचित एवं सही है।

आगे उन्होने यह भी कहा कि निम्न न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्त्ता से प्राप्त आपत्ति आवेदन को भी अंचल अधिकारी, पतना से जाँच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिसका पत्रांक– 246/रा0, दिनांक– 18.05.2021 है। दोनो प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा उत्तरवादी सुनिता सोरेन, पति– स्व0 अनिल करिया मुर्मू, ग्राम– तालझारी, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज को प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई। उत्तरवादी स्व0 अनिल करिया मुर्मू, ग्राम– तालझारी की विधवा पत्नी है। जो एक वैधानिक उत्तराधिकारी है। 16 आना रैयतो के द्वारा भी उत्तरवादी को प्रधान बनाने में अपनी सहमति दी गई है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा लगाये गये सारे आरोपो को जाँचोपरांत विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा उचित निर्णय लेते हुए उत्तरवादी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा– 06 के तहत् मौजा– तालझारी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया, जो सही है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची के द्वारा W.P.(C) No. 3164/2005 में पारित आदेश दिनांक– 22.02.2023 की प्रति दाखिल करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय ने भी महिलाओं को यथा पुत्री/पुत्रवधु/पत्नी को भी प्रधान नियुक्त करने का अपने आदेश में उल्लेख किये है। इनके साथ उत्तरवादी द्वारा अंचल अधिकारी के पत्रांक– 33/2008, दिनांक– 25.08.2008 से निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है।

आगे उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20, दिनांक– 01.03.2022 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उत्तरवादी सुनिता सोरेन पूर्व प्रधान स्व0 अनिल करिया मुर्मू की पत्नी है। जिसे वैध उत्तराधिकारी मानते हुए विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा– 06 के तहत् मौजा– तालझारी के प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, पतना से प्राप्त प्रतिवेदन से भी होती है।

उभय पक्षों के सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के ज्ञापांक– 427/डी0बी0, दिनांक– 09.11.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज से प्रतिवेदन की मांग की गई। अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज अपने पत्रांक– 140/रा0, दिनांक– 29.02.2024 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि चयनित प्रधान सुनिता सोरेन पूर्व प्रधान स्व0 अनिल करिया मुर्मू की पत्नी है, जिसको 16 आना रैयतो की सहमति प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा– 06 के तहत् प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया है। सिंघराय मुर्मू एवं स्व0 अनिल करिया मुर्मू एक ही वंश वृक्ष में आते है। सुनिता सोरेन स्व0 अनिल करिया मुर्मू की पत्नी है।

उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि सिंघराय मुर्मू की ओर से उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा सुनिता सोरेन के विरूद्व कोई सार गर्मित तथ्य नहीं बताया

गया है। लोगो का कहना था कि प्रधान के द्वारा मांझी स्थान जो पूजा स्थल है उसे वर्त्तमान बंद रखा जाता है। इस गाँव के नायिकी द्वारा बताया गया कि पूजा के समय मांझी स्थान को खोला जाता है। वर्त्तमान प्रधान से रैयतो का लगान रसीद निर्गत करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। लगान प्राप्त पंजी का अवलोकन किया जिसमें लगान रसीद निर्गत किये जाने का उल्लेख नहीं है। वर्त्तमान प्रधान को अंचल कार्यालय से रसीद निर्गत करने एवं पंजी संधारण करने का प्रशिक्षण अंचल अधिकारी, पतना को बताया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनो पक्षों के बीच छोटी मोटी बात के लिए आपसी विरोध पाया गया। ग्रामीण प्रधान बहाली के पक्ष में दो गुटो में बटे हुए है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल माननीय न्यायालय, झारखंड, राँची के W.P.(C) No. 3164/2005 में दिनांक– 22.02.2023 के पारित आदेश की कंडिका– 34 में उल्लेख है कि:– *This leads me to the next question as to whether a woman can become a village headwomen either in the capacity of a widow, daughter or daughter-in-law. The answer to the above question is simple. If the customs of the village permit a woman to be appointed as a village headwoman, then there is no bar in a woman being appointed as a village headwoman either of a khas village or of a Pradhani village. So far as khas village is concerned, the appointment is to be made in terms of the customs prevalent in the village and therefore if there is no bar in a woman being appointed as as village head woman, then a woman can also participate in the process of appointment.*

अतएव विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 (सुनिता सोरेन –बनाम– 16 आना रैयत) में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा– 06 के तहत् दिनांक– 03.01.2022 को पारित आदेश में किसी भी दृष्टिकोण से खंडित करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 दिनांक– 03.01.2022 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को मूल अभिलेख के साथ भेजें एवं अंचल अधिकारी, पतना को भी आदेश की प्रति भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/4/2024

जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

19/4/2024

जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

की एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 5	आदेश पर क गई कार्यवाह

ज्ञापांक–100 /डी0बी0, साहेबगंज, दिनांक–02.05.24

प्रतिलिपिः– उभय पक्षों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को मूल अभिलेख पी0ए0 वाद सं0– 20/2019–20 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 13:21:15 +05:30
Location: 192.168.29.209